

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

(राज.)

पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार मल्होत्रा, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80/2023	19.09.2023	18.06.2025

अनवान

नगर पालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ जरिये, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

-निगराकार


बनाम

1. श्री मोहन सिंह आत्मज गुरुवचन सिंह जाति सिक्ख निवासी नया बाजार कॉलोनी रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़
2. श्री सोहन सिंह आत्मज गुरुवचन सिंह जाति सिक्ख निवासी नया बाजार कॉलोनी रावतभाटा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम फ्लेट नं. 203 ओरियन्ट रेजीडेन्सी, 643 शास्त्रीनगर दादाबाड़ी, कोटा

-: गैरनिगराकारान

:- निगरानी अन्तर्गत धारा 27 ए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953, विरुद्ध ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 एवं अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 :-

उपस्थिति:- अधिवक्ता अर्जून सिंह चुण्डावत (निगराकार)  
अधिवक्ता बाबूराम देराश्री (गैर निगराकार सं.01 व 02)

  
अति. जिला कलक्टर  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

—:निर्णय:—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 27 ए राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1953 एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निगरानी को धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत सुनवाणी, विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है। कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत रावतभाटा, पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ के अधीन थी तथा तत्समय ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा अवैधानिक रूप से, नियमों के विपरित भुखण्डों के पट्टे जारी किये गये। जिन्हें बाद में न्यायालय अपर जिला कलेक्टर प्रशासन चित्तौड़गढ़ द्वारा विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से पट्टों की सारी कार्यवाही को निष्फल व निष्प्रभावी घोषित की जाकर सभी पट्टे निरस्त कर दिये गये। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा न्यायालय सिविल जज क.ख. रावतभाटा में एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके पडौंसियों के मध्य आवासीय भुखण्ड 90X40 फिट का करवा रावतभाटा में कोटा रावतभाटा रोड पर पेट्रोल पंप के आगे स्थित है। उक्त भुखण्ड के कुछ भाग का एक पट्टा नं. 447 दिनांक 28.11.1986 हैं जो तत्कालिन ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी किया जाना बताया गया हैं। उक्त पट्टे के आधार पर ही उक्त भुखण्ड व अन्य भूमि को गैरनिगराकार सं. 02 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.1992 को मोहन सिंह गैरनिगराकार संख्या 01 से खरीद किया था। तब से गैरनिगराकार संख्या 02 मालिक व काबिज चला आ रहा हैं जिससे निगराकार गैर निगराकार को बेदखल नहीं करे ओर न निर्माण को तोड़े। उक्त पट्टे के संबंध में निगराकार ने ग्राम पंचायत रावतभाटा जो वर्तमान नाम नगर पालिका रावतभाटा हो गया, का समस्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया, किन्तु निगराकार के रिकार्ड में पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा उक्त पट्टा नं0 447 बाबत जारी किया जाना उपलब्ध नहीं हुआ। जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त पट्टा फर्जी, बनावटी, प्रभावहीन व प्रभावशून्य है, जिसका फायदा गैरनिगराकार सं. 01 ने उठा कर पट्टे के आधार पर अन्य भूमियों को गैरनिगराकार सं. 02 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर लिया जबकि गैर निगराकार सं. 01 को किसी प्रकार के उक्त पट्टे से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस कारण तथाकथित विक्रय पत्र से भी गैर निगराकार सं. 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। वैसे भी विवादित पट्टे की भूमि निगराकार के अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं व निगराकार में वेस्ट करती है। उक्त पट्टे की भूमि पर गैर निगराकार को किसी प्रकार का मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जिसको कानूनानुसार विधिक कार्यवाही कर पट्टे को प्रभावशून्य, अवैध घोषित करवाना आवश्यक हो गया है।


अधीनस्थ ग्राम पंचायत रावतभाटा का आदेश व पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 ना तो कभी ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी किया गया है और न ही इससे संबंधित रिकार्ड ही उपलब्ध है। अर्थात उक्त समस्त कार्यवाही बनावटी व फर्जी व झूठी होने से इसके विरुद्ध फोजदारी प्रकरण निगराकार द्वारा दर्ज करवा दिया गया है। उक्त ग्राम पंचायत ने पट्टा को जारी करने में काफी अनियमितताएं बरती हैं एवं नियमों की पालना नहीं की हैं उन पट्टों की कार्यवाही को अपर जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने कई निणयों से निरस्त कर दिये है व पट्टों को भी निरस्त कर दिये है। तथा समस्त पट्टे जो ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी किये गये थे विधि विरुद्ध होने से इसी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं। इस कारण उक्त

पट्टे का कोई औचित्य नहीं होने से उसे प्रभावशून्य घोषित करवाया जाना आवश्यक है। क्योंकि जो पट्टा ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी ही नहीं किया गया है को उसे निरस्त करावये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

ग्राम पंचायत रावतभाटा वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशों से नगर पालिका रावतभाटा में समाहित हो गयी है और ग्राम पंचायत का समस्त रिकार्ड निगराकार को दे दिया गया है। किन्तु उपलब्ध रिकार्ड में पट्टा संख्या 447 का कोई रिकार्ड नहीं मिला है और न ही नष्ट किया गया है। सत्यता तो यह है कि पट्टा सं. 447 ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नहीं किया गया है और वह पट्टा फर्जी, बनावटी है इस कारण उक्त पट्टे को प्रभावहीन व प्रभावशून्य घोषित किया जाना आवश्यक है। यदि यह पट्टा जारी किया गया होता तो अन्य पट्टों के समान ही उसी समय निगरानी कर अन्य पट्टों के समान इस भी निरस्त करवा दिया गया होता। जो पट्टा कभी ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी नहीं किया गया और न उसका रिकार्ड मौजूद है और न ही नष्ट किया गया है तो उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है किन्तु निगराकार को उक्त तथाकथित पट्टा नं 447 जो प्रारंभ से ही अवैध, अवैधानिक, फर्जी, बनावटी है, को प्रभावशून्य, प्रभाव ही घोषित करवाया जाना निगराकार के लिये आवश्यक है। उक्त प्रभावशून्य व फर्जी पट्टे के आधार पर यदि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से तथाकथित भुखण्ड खरीद किया गया हो तो कानूनन क्रेता को विक्रयपत्र के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। गैर निगराकार सं. 02 ने फर्जी व प्रभावशून्य पट्टे की भूमि को खरीद कर उसके पास की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक हो गया है। पट्टा प्रभावशून्य घोषित नहीं किया गया तो उसी के आधार पर किया गया रजिस्टर्ड बेचान का नाजायज लाभ गैर निगराकारान लेना चाहता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 के भौतिक अस्तित्व में नहीं है। पक्षकार रावतभाटा तहसील के निवासी होने से तथा उक्त भूमि तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होने से श्रवणाधिकार आप न्यायालय में है। अतः प्रार्थना पत्र है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 ग्राम पंचायत रावतभाटा को अवैध, अवैधानिक, प्रभावशून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।


इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारन को जरिये नोटिस से तलब किया गया एवं अधीनस्थ नगर पालिका रावतभाटा को पत्रांक 157 दिनांक 04.03.2015 एवं 267 दिनांक 07.04.2015 व 590 दिनांक 11.08.2015 से पट्टे संबंधित पत्रावली/अभिलेख (पट्टा बुक/केश बुक/ कार्यवाही विवरण) हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में नगर पालिका रावतभाटा के पत्रांक/नपारा/ भूमि/2015-16/3516 दिनांक 07.10.2015 द्वारा पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 के पट्टे संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया।

विकास अधिकारी पंचायत समिति भैसरोडगढ़ को पत्रांक 80 दिनांक 19.12.2024 से पट्टे से संबंधित रिकार्ड चाहा गया। जिसके क्रम में विकास अधिकारी भैसरोडगढ़ द्वारा पत्रांक 1871 दिनांक 20.12.2024 द्वारा अवगत कराया कि पट्टे संबंधित रिकार्ड पूर्व ग्राम पंचायत से संबंधित होने से नगर पालिका रावतभाटा को सुपुर्द किया गया।

  
**अति. जिला कलक्टर**  
**रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)**

गैर निगराकार संख्या 01 (मोहन सिंह) की और से दिनांक 05.02.2025 को जवाब निगरानी पेश किया जाकर निवेदन किया कि निगरानी की कलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा पट्टे जारी किया जाना स्वीकार हैं, शेष इबारत गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी का बिना नम्बर पेरा न. 02 सही होने से स्वीकार हैं। निगरानी का बिना नम्बरी पेरा न. 03 गलत होने से स्वीकार नहीं हैं, ग्राम पंचायत रावतभाटा का रिकार्ड नगरपालिका रावतभाटा को नहीं मिला यह अर्थ नहीं होता कि पट्टा फर्जी बना हैं, पट्टे की तलाश नगर पालिका द्वारा किस-किस कर्मचारी से करवाई गई कब करवाई गई और उसका क्या परिणाम रहा। इस संबंध में निगराकार ने कोई दस्तावेज या पत्र पेश नहीं किया है, नगर पालिका रावतभाटा के तलाश करने वाले कर्मचारियों ने जो रिपोर्ट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को प्रस्तुत की उसका भी कोई रिकार्ड फाईल पर उपलब्ध नहीं हैं।

ग्राम पंचायत रावतभाटा का रिकार्ड नगर पालिका ने प्राप्त किया, उसके बाद नगर पालिका से ग्राम पंचायत रावतभाटा का रिकार्ड चोरी हो गया था और कुछ रिकार्ड नष्ट हो गया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रावतभाटा में दर्ज करवाई गई थी। थानाधिकारी द्वारा लम्बे समय तक विस्तृत जांच की गई थी, उसका नतीजा भी इस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। चोरी हो गये या नष्ट हुए रिकार्ड में विवादित पट्टों का रिकार्ड भी चोरी या नष्ट हो गया हो ऐसी स्थिति में विवादित पट्टे को फर्जी नहीं माना जा सकता जब तक की विधिक रूप से विवादित पट्टे को संदेह से परे फर्जी साबित नहीं करा दिया जावें। पट्टे को फर्जी करार देने के लिए पुख्ता सबूत होना आवश्यक है, काल्पनिक तरीके से किसी भी पट्टे को फर्जी नहीं बताया जा सकता है। निगरानी की कलम नं. 2 में वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर किसी पट्टे को अवैध नहीं माना जा सकता समस्त पट्टे खारिज कराने के लिये नगर पालिका ने अतिरिक्त कलेक्टर चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में पेश नहीं किये थे, बल्कि कुछ ही पट्टों के विरुद्ध निगरानियां पेश की गई थी। उसमें भी सभी पट्टे खारिज नहीं हुए थे। खारिज होने वाले पट्टों की सूची में विवादित पट्टों का नाम व नम्बर नहीं था। नगर पालिका द्वारा समस्त पट्टों की निगरानी पेश नहीं की गई थी। नगर पालिका ने एक आम सूचना द्वारा रावतभाटा की जनता को गुमराह किया जाना और मुनादी कर यह सूचना दी गई कि ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जितने भी पट्टे बनाये गये, उन पट्टों को तुरन्त नियमन किये जाने की कार्यवाही चल रही है, इसलिये जिन-जिन भी व्यक्तियों के पास ग्राम पंचायत रावतभाटा के द्वारा जारी किये गये पट्टे हो वह वापस नगर पालिका में जमा करवा देवे। उसके बाद नगर पालिका द्वारा नये पट्टे जारी किये जावेगे, इससे रावतभाटा की आम जनता भ्रमित हो गई और अपने अपने पट्टे नगर पालिका में प्रस्तुत कर दिये और नगर पालिका ने आम जनता के साथ धोखा कर उन सभी पट्टों के विरुद्ध न्यायालय में निगरानियां पेश कर दी निगरानियां पेश कि गई किन्तु विवादित पट्टा नं0 447 के विरुद्ध कोई निगरानी पेश नहीं की गई। निगरानी की कलम सं. 03 गलत होने से अस्वीकार है पंचायत का गुमशुदा रिकार्ड नगर पालिका को नहीं मिलने का यह अर्थ नहीं होता कि विवादित पट्टा फर्जी है।

  
अति. जिला कलेक्टर  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रस्तुत निगरानी मे उभय पक्षकारान अधिवक्ता द्वारा बहस अन्तिम की गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि मोहन सिंह का पट्टा सं. 447 दिनांक 28.11.1986 को ग्राम पंचायत रावतभाटा ने पट्टा जारी किया। तत्कालीन समय में जिस भूमि के पट्टे जारी होना बताया गया हैं। वह भूमि ग्राम पंचायत के नाम ही नहीं होकर सिचाई विभाग के नाम दर्ज थी। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। जो पट्टे जारी किये गये उनकी मिसल पत्रावली नहीं हैं ना ही उनका कोई रिकार्ड उपलब्ध है। तत्कालीन समय में नगर पालिका को ग्राम पंचायत ने संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया, ना ही इसका रिकार्ड गैर निगराकार के पास उपलब्ध है। गैर निगराकार बार-बार कथन किया जाता है कि सिविल न्यायालय से हमारे पक्ष में डिक्री हुई है। डिक्री मात्र केवल स्थगन लिए पारित हुई है ना कि नगर पालिका को पट्टा जारी करने का आदेश हुआ है न हमें आदेश दिया कि विवादित भूखण्ड में मदाखलत नहीं करें।

नगर पालिका की बेशकियती भूमि जो पट्टा जारी किया गया है उसका नामान्तरण भी नहीं खुला है। यह विक्रय पत्र पर बेचान हुआ है इसलिए हमें न्यायालय में आना पड़ा है। गैर निगराकार द्वारा हमे भी विधिक पट्टे से अवगत नहीं कराया गया। तत्कालीन समय में केवल सरपंच द्वारा गलत रूप से जारी हुआ है। पट्टे पर कोई आराजी नम्बर का अंकन नहीं है व पडौस भी मिलान नहीं है। इसके पडौस के पट्टों को न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निरस्त किये जा चुके है। जिसकी प्रतिलिपि रिकार्ड पर उपलब्ध है। केवल सिविल न्यायालय के आधार पर इनका पट्टा प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए पट्टा निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावें व पट्टा निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार ने बहस में बताया कि दिनांक 24.01.1981 में अधिशाषी अभियंता सिचाई विभाग, रावतभाटा द्वारा ग्राम पंचायत रावतभाटा को जरिये नामान्तरण संख्या 20 के द्वारा समस्त आबादी भूमि हस्तानान्तरित की गई थी। इस नामान्तरण से ग्राम पंचायत के नाम समस्त भूमि दर्ज रिकार्ड होने पश्चात ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसी के अंतर्गत यह पट्टे जारी हुआ है। आज भी पट्टा अस्तित्व में हैं, जिन्हें किसी भी एजेन्सी द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

वर्ष 1996 में ग्राम पंचायत रावतभाटा से नगर पालिका रावतभाटा में क्रमोन्नत होने से स्वतः ही ग्राम पंचायत रावतभाटा क्षेत्र नगर पालिका रावतभाटा में समाहित हो गया। इस आधार पर जो ग्राम पंचायत रावतभाटा द्वारा जारी किये गये वो समस्त पट्टो को नगर पालिका रावतभाटा वैध मानने हेतु वाध्य है साथ ही इस पट्टे एवं भूखण्ड को लेकर माननीय सिविल न्यायालय रावतभाटा में एक प्रकरण पेश हुआ। जिसमे भी सिविल न्यायालय ने पट्टे को वैध मानते हुए विस्तृत विवेचन किया एवं पट्टे को वैध मानते हुए स्थगन आदेश एवं डिक्री जारी की गई जिसकी पुष्टि माननीय ए.डी.जे. न्यायालय बेगू ने भी अपने निर्णय दिनांक 21.09.2024 मे की है। अधिवक्ता गैरनिगराकार ने यह भी बताया है कि पट्टा सन् 1986 मे जारी हुआ किन्तु उसकी निगरानी निगराकार द्वारा सन् 2013 मे पेश कि है जो 27 वर्षों के बाद पेश की गई है इतनी देरी से निगरानी पेश करने का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया है

ना ही मयाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे यह निगरानी समय बाधित होने खारिज होने के योग्य है।


गैरनिगराकार अधिवक्ता यह भी बताया है कि निगराकार द्वारा मिसल पेश नहीं की एवं विवादित पट्टे के संबंध में कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने की दशा में निगराकार द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही अमल नहीं लायी गई और नाही रिकार्ड को तलाश कराने के संबंध में कार्यवाही भी पत्रावली में पेश कर प्रदर्शित नहीं करवायी गई तथा जिस पट्टे के लिए निगरानी पेश की गई पत्रावली में निगराकार ने कोई पट्टा पेश नहीं किया गया। बाद में यह भूखण्ड गैरनिगराकार संख्या 01 मोहन सिंह से गैरनिगराकार संख्या 02 सोहन सिंह ने सन् 1992 में जरिये विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर लिया गया। तब भी से ही गैरनिगराकार संख्या 02 काबीज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा जिस पंजीयन पत्र आज भी अस्तित्व में है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत दस्तवेजों का अवलोकन किया गया।

न्यायालय पत्रांक 157 दिनांक 04.03.2015 एवं 267 दिनांक 07.04.2015 व 590 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा नगर पालिका रावतभाटा से पट्टे संबंधित पत्रावली/अभिलेख (पट्टा बुक/केश बुक/कार्यवाही विवरण रजिस्टर) हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में नगर पालिका रावतभाटा द्वारा अपने पत्रांक 3516 दिनांक 07.10.2015 के अनुसार पट्टा संख्या 447 दिनांक 28.11.1986 से आवादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किये जाने से संबंधित कोई पत्रावली/अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया है।

उक्त पट्टे के अभिलेख/पत्रावली के संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत रावतभाटा पंचायत समिति भैसरोडगढ़ के अधीन होने से न्यायालय पत्रांक 80 दिनांक 19.12.2024 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़ से रिकार्ड चाहा गया तो उनके पत्रांक 1871 दिनांक 20.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टे संबंधित मूल रिकार्ड पूर्व ग्राम पंचायत रावतभाटा से संबंधित होने से नगर पालिका रावतभाटा के सुपुर्द किया गया था।

उक्त पट्टे के अभिलेख/पत्रावली के संबंध में तत्कालीन ग्राम पंचायत रावतभाटा पंचायत समिति भैसरोडगढ़ के अधीन होने से न्यायालय पत्रांक 80 दिनांक 19.12.2024 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैसरोडगढ़ से रिकार्ड चाहा गया तो उनके पत्रांक 1871 दिनांक 20.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टे संबंधित मूल रिकार्ड पूर्व ग्राम पंचायत रावतभाटा से संबंधित होने से नगर पालिका रावतभाटा के सुपुर्द किया गया था।

  
अति. जिला कलक्टर  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

पट्टे की पत्रावली/पट्टा (अभिलेख) उपलब्ध होने पर ही अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पट्टे की विधिक एवं प्रक्रियात्मक जांच होती है। इस न्यायालय के द्वारा नगर पालिका को पट्टा/पत्रावली के संबंध में पत्र लिखा गया तो उन्होंने कोई भी पट्टा/पत्रावली होने से इन्कार किया। इसी प्रकार इस न्यायालय द्वारा पंचायत समिति को पत्र लिखा गया तो उन्होंने अंकित किया कि संपूर्ण पत्रावलीयां नगर पालिका को सुपुर्द की जा चुकी है।

उक्त दोनों में विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न होती है कि एक संस्था पट्टा/पत्रावली नहीं होने की बात अंकित करती है। दुसरी संस्था संपूर्ण पत्रावलीयां ग्राम पंचायत से संबंधित होने से नगर पालिका रावतभाटा को सौपने की बात अंकित करती है।

पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 यह प्रावधान करती है कि यदि कोई पट्टा विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध जारी किया गया है तो उसकी निगरानी सुनी जा सकती है।

प्रासंगिक प्रकरण में चूंकि मूल पट्टा/पत्रावली उपलब्ध नहीं है तो उसकी विवेचना विधिक एवं प्रक्रियात्मक कमियों की जांच किया जाना संभव नहीं है।

गैर निगराकार संख्या 01 ( मोहन सिंह) द्वारा उक्त पट्टे के आधार पर पट्टे का रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पंजीयन दिनांक 30.12.1992 को किया जा चुका है। रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रय विलेख को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास सरंक्षित हैं।

गैर निगराकार द्वारा सिविल न्यायाधीश रावतभाटा में वाद दायर कर (मुत. दीवानी वाद संख्या 14/11 सोहन सिंह बनाम अधिशाषी अधिकारी, रावतभाटा वगैरह) में दिनांक 07.03.2018 के द्वारा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण (अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा वगैरा) को पाबंद किया गया है कि वे वादी (गैर निगराकार ) पंजीकृत पट्टाधारी के विवादित प्लॉट गोदाम के उपयोग उपभोग मे बाधा न डाले नही कब्जा हटाने की कोशिश करे ना ही दिगर व्यक्ति से करावे।

जिसके विरुद्ध निगराकार (अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतभाटा) द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बेगूं में अपील संख्या 19/2021 सीआईएस नं. 20/2018 निर्णय दिनांक 21.09.2024 द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 की पृष्टि की जाकर अपीलांट (अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतभाटा) की अपील को अस्वीकार की गयी है।

चूंकि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रावतभाटा ने निगराकार (अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा) स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हुआ है। जिसकी पृष्टि न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश बेगूं ने की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण सिविल प्रकृति की श्रेणी में आता है।

  
अति. जिला कलक्टर  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

यद्यपि निगरानी प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद निर्धारित नहीं है, परन्तु निगराकार द्वारा उक्त पट्टा जारी होने के 27 वर्ष बाद में उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। जो कि असाधारण विलम्ब की श्रेणी में आता है। जबकि नगर पालिका रावतभाटा वर्ष 1996 में अस्तित्व में आ चुकी थी।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति भैसरोड़गढ़ एवं नगर पालिका रावतभाटा को भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 18/06/2025 को लिखाया जाकर सुनाया।

  
(विनोद कुमार मल्हौत्रा)  
**अतिरिक्त जिला कलेक्टर**  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
रावतभाटा (तमदोड़गढ़)